भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 194

उत्तर देने की तारीख 06 दिसम्बर, 2013

स्पेक्ट्रम के बंटवारे के संबंध में मोबाइल प्रचालक संघ का अनुरोध

194. श्री जय प्रकाश नारायण सिंह :
श्रीमती गुन्डु सुधारानी :
श्री ए.ए. जिन्ना :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग द्वारा देश में दूरसंचार कंपनियों के संघ बनाने में जानबूझकर सहायता करने के कारण 2जी स्पेक्ट्रम की पिछली दो नीलामियां असफल रही हैं ;

(ख) क्या मोबाइल प्रचालक संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें स्पेक्ट्रम को आपस में बांट लेने की स्वीकृति प्रदान की जाए ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण प्रचालकों पर लगाए गए जुर्माने सहित इन प्रचालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : कुछेक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने स्पेक्ट्रम के बंटवारे के मामले के बारे में लिखा है। उन्होंने अन्य मुद्दों के साथ-साथ यह मुद्दे भी उठाए हैं कि सभी प्रचालकों के बीच स्पेक्ट्रम होल्डिंग और प्रौद्योगिकियों को बांटने की अनुमति होनी चाहिए और स्पेक्ट्रम बंटवारे, बंटवारे की अधिकतम अवधि की समीक्षा आदि के लिए एकल आर्डर उत्पादन (वन-आफ) शुल्क होना चाहिए।

ट्राई ने स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचे के संबंध में दिनांक 11.05.2010 की अपनी सिफारिश में अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्पेक्ट्रम के बंटवारे के बारे में सिफारिश की। सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया और उसके बाद ट्राई की 08 फरवरी, 2011 की सिफारिशों, 03 मई, 2011 के स्पष्टीकरणों और 03 नवम्बर, 2011 के प्रत्युत्तर पर भी विचार किया और दिनांक 15.02.2012 (प्रति अनुबंध के रूप में संलग्न) के प्रेस विज्ञप्ति द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के बंटवारे से संबंधित मुख्य दिशा-निर्देशों की घोषणा की।

इसके अलावा, सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्पेक्ट्रम के बंटवारे के मामले में स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभारों की दरों पर भी निर्णय लिया है।

प्रेस आसूचना ब्यूरो
भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

15 फरवरी, 2012 17: 22 आईएसटी

श्री कपिल सिब्बल का आज जारी किया गया प्रेस विवरण

श्री कपिल सिब्बल, केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आज यहां एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। श्री कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए विवरण का पाठ निम्नलिखित है:

पाठ

ट्राई की " स्पैक्ट्रम प्रबंधन तथा लाइसेंसिंग ढांचा " विषय पर ट्राई की दिनांक 11 मई, 2010 की सिफारिशों तथा बाद में इसके द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2011 को दी गई सिफारिशों, 03 मई, 2011 के स्पष्टीकरण और 03 नवम्बर, 2011 के प्रत्युत्तर पर दूरसंचार आयोग द्वारा विचार किया गया। दूरसंचार आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :-

1. स्पैक्ट्रम से संबद्ध कोई और यूएएस लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।

2. सभी भावी लाइसेंस एकीकृत लाइसेंस होंगे और स्पेक्ट्रम के आवंटन को लाइसेंस से अलग कर दिया जाएगा। स्पैक्ट्रम, यदि अपेक्षित हो, पृथक रूप से प्राप्त करना होगा। एकीकृत लाइसेंस में सभी मौजूदा लाइसेंसों हेतु अंतरण व्यवस्था सहित एकीकृत लाइसेंस के संदर्भ में ट्राई से विस्तृत दिशा-निर्देशों तथा निबंधन और शर्तों के प्राप्त होने के बाद ही एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था के क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

3. एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने तक स्पेक्ट्रम की किसी प्रकार की नीलामी होने की स्थिति में, बिना स्पैक्ट्रम के यूएएस लाइसेंस जारी किया जाएगा, जो इस व्यवस्था के लागू होने की स्थिति में एकीकृत लाइसेंस में अंतरण संबंधी अपेक्षा के अध्यधीन होगा। बिना स्पैक्ट्रम के ऐसे यूएएस लाइसेंस हेतु विस्तृत दिशा-निर्देशों को इस संबंध में ट्राई की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

4. सभी दूरसंचार लाइसेंसों और सेवा क्षेत्रों के लिए एक समान लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा, जिसे उत्तरोत्तर रूप से वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाली दो वर्षीय समयावधि में समायोजित सकल राजस्व के 8% के बराबर किया जाएगा।

5. ऐसे प्रत्येक लाइसेंसधारक द्वारा देय लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार वास्तविक समायोजित सकल राजस्व के आधार पर होंगे, जो संभावित न्यूनतम समायोजित सकल राजस्व के अध्यधीन होगा। ट्राई इस न्यूनतम राशि की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करेगा।

6. आईपी-I सेवा प्रदाताओं, जो वर्तमान में बिना लाइसेंस के निष्क्रिय अवसंरचना प्रदाता हैं, को लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत लाने की सिफारिश पर निर्णय को भावी जांच हेतु आस्थगित कर दिया गया है।

7. दूरसंचार विभाग द्रुत व्यापक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज एवं टेलीघनत्व में वृद्धि करने संबंधी मुद्दों की जांच की जा सके तथा इसके साथ ही सेवा की सतत गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सिर्फ यूएसओएफ प्रक्रियातंत्र की पर्याप्तता तथा ग्रामीण विस्तार हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उपयुक्त प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने संबंधी यूएसओएफ की स्कीमों को संवर्द्धित करने की आवश्यकता की जांच की जा सके।

जारी-3

8. समुचित निबंधनों एवं शर्तों सहित, एक्सटेंट लाइसेंसिंग प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार, मौजूदा यूएएस (एवं सीएमटीएस तथा बुनियादी सेवाओं) लाइसेंसों की वैधता का एक बार में और 10 वर्ष तक विस्तार किया जा सकता है ताकि मौजूदा लाइसेंस एवं किसी आवंटित स्पैक्ट्रम की मात्रा और मूल्य सहित संबंधित शर्तें स्वत: ही जारी न रह सकें।

9. विस्तार होने पर, यूएएस लाइसेंसधारक को शुल्क का भुगतान करना होगा जोकि महानगरों और 'क' सर्किलों के लिए 2 करोड़ रूपए, 'ख' सर्किलों के लिए एक करोड़ रूपए और 'ग' सर्किलों के लिए 0.50 लाख रूपए होगा। इस शुल्क में स्पैक्ट्रम का मूल्य शामिल नहीं है जिसका भुगतान अलग से किया जाएगा। लाइसेंस का विस्तार करते हुए लाइसेंसधारक को निर्धारित सीमा या विस्तार से पहले सौंपे गए स्पैक्ट्रम की मात्रा, जो भी कम हो, तक ही स्पैक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा। सरकार द्वारा लाइसेंसधारक को निर्धारित सीमा से अधिक आवंटित स्पैक्ट्रम को वापस ले लिया जाएगा।

10. स्पैक्ट्रम को रिफार्म करने की आवश्यकता को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है। इस बारे में ट्राई की सिफारिशें मिलने के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

11. किसी सेवा प्रदाता को सौंपे गए स्पैक्ट्रम की निर्धारित सीमा दिल्ली एवं मुम्बई को छोड़कर सभी सेवा क्षेत्रों में सभी जीएसएम/सीडीएमए प्रौद्योगिकियों हेतु क्रमश: 2x8 मेगाहर्ट्ज/2x5 मेगाहर्ट्ज होगी जबकि दिल्ली और मुम्बई में यह 2x10 मेगाहर्ट्ज/2x6.25 मेगाहर्ट्ज होगी। तथापि, लाइसेंसों के विलय हेतु निर्धारित सीमा के मद्देनजर, स्पैक्ट्रम की नीलामी होने की स्थिति में, लाइसेंसधारक खुले बाजार में निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त स्पैक्ट्रम प्राप्त कर सकता है।

12. एमएंडए तथा स्पैक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में स्पैक्ट्रम के मूल्य निर्धारण सहित एककालिक स्पैक्ट्रम प्रभार के बारे में सभी मामलों में निर्णय अलग से लिया जाएगा।

13. सरकार द्वारा 2010 में स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार संशोधित किए गए और अब यह मामला न्यायाधीन है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने के बाद ही दूरसंचार विभाग द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी।

14. सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसों के अंतरा-सेवा क्षेत्र विलय के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

i. संगत बाजार में उपभोक्ता आधार और लाइसेंसधारक के समायोजित सकल राजस्व, दोनों की बाजार शक्ति, बाजार अंश का निर्धारण करने हेतु विचार किया जाएगा। बाजार अंश का निर्धारण करने के लिए समस्त अभिगम बाजार संगत बाजार होगा और इसे 'वायरलाइन' और 'वायरलैस' के रूप में अलग से श्रेणीबद्ध नहीं किया जाएगा।

ii. एक साधारण, तीव्र प्रक्रिया के द्वारा परिणामात्मक निकाय के 35% तक बाजार अंश का विलय किया जाएगा। तथापि, किसी सेवा क्षेत्र में सीडीएमए स्पैक्ट्रम होल्डिंग हेतु 10 मेगाहर्ट्ज/जीएसएम स्पैक्ट्रम पर 25% की ऊपरी सीमा का उल्लंघन किए बिना कुछ परिस्थितियों में बाजार अंश में 35% से आगे भी विलय करने संबंधी मामलों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। ट्राई की इस सिफारिश, कि ऐसे मामलों में 60% तक बाजार अंश पर विचार किया जाए, को नोट कर लिया गया है। परिस्थितियों में स्पष्टता और वह सीमा जिस तक 35% से ऊपर बाजार अंश के विलय की अनुमति होगी, सुनिश्चित करने के लिए, समुचित प्राधिकारियों से परामर्श करने और ट्राई की सिफारिशों को प्राप्त करने के बाद विस्तृत पारदर्शी दृष्टिकोण निर्धारित किया जाएगा/अपनाया जाएगा।

iii. सेवा क्षेत्र में लाइसेंसों के विलय के परिणामस्वरूप, 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंडों के मामले में संबंधित सेवा क्षेत्र में, परिणामात्मक निकाय द्वारा नीलामी या अन्यथा की मार्फत धारित कुल स्पैक्ट्रम, सौंपे गए स्पैक्ट्रम के 25% से अधिक नहीं होगा। 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के संबंध में ऊपरी सीमा 10 मेगा हर्ट्ज होगी। अन्य बैंडों में स्पैक्ट्रम के संबंध में, उस स्पैक्ट्रम की नीलामी से संबंधित संगत शर्तें लागू होंगी।

iv. यदि, विलय के परिणामस्वरूप, परिणामात्मक निकाय द्वारा धारित कुल स्पैक्ट्रम निर्धारित सीमा से अधिक है तो अधिशेष स्पैक्ट्रम को अनुमति दिए जाने के एक वर्ष के अन्दर अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। सरकार उस बैंड को निर्धारित कर सकती है जिसे अलग से घोषित की जाने वाली स्पैक्ट्रम रिफार्मिंग नीति के अनुरूप अभ्यर्पित करने की आवश्यकता होगी।

v. परिणामात्मक निकाय की पर्याप्त इक्विटी और क्रास होल्डिंग यूएएस लाइसेंस के प्रावधानों के अनुरूप होगी।

vi. संबंधित सेवा क्षेत्र में परिणामात्मक निकाय के लाइसेंस की अवधि विलय की तारीख पर दो अवधियों में से अधिक वाली अवधि के समान होगी। तथापि, इससे परिणामात्मक निकाय को लाइसेंस की अवधि के बीतने तक समग्र स्पैक्ट्रम को रखने का अधिकार नही मिलेगा।

vii. विलय किए गए निकायों में से किसी निकाय की प्रारंभिक वैधता से अधिक नवीकृत वैधता की स्थिति में, 800/900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम की होल्डिंग, स्पैक्ट्रम रिफार्मिंग दिशानिर्देशों की तारीख या विलय के समय पर लाइसेंस की कम वैधता, जो भी बाद में हो, वाले विलयशील निकाय के विस्तार की संभावित तारीख से भविष्य में घोषित होने वाले लागू स्पैक्ट्रम रिफार्मिंग दिशानिर्देशों के मद्देनजर होगी।

viii. परिणामात्मक निकाय द्वारा भुगतान किए जाने वाले स्पैक्ट्रम मूल्य से संबंधित मुद्दों का अलग से निर्धारण किया जाएगा। विलय के बाद वायरलैस प्रचालक लाइसेंस के नवीकरण के मामले में भी यही लागू होगा।

ix. दो लाइसेंसों के विलय होने पर दोनों निकायों के एजीआर का भी विलय किया जाएगा और परिणामस्वरूप कुल एजीआर पर उस सेवा क्षेत्र हेतु विनिर्दिष्ट दर पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा। इसी प्रकार, स्पैक्ट्रम प्रभार के भुगतान हेतु दो लाइसेंसधारकों द्वारा धारित स्पैक्ट्रम को जोड़ा/विलय किया जाएगा और वार्षिक स्पैक्ट्रम प्रभार इस कुल स्पैक्ट्रम पर लागू निर्धारित दर पर होगा। तथापि, विलय के बाद निकाय द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु स्पैक्ट्रम की होल्डिंग की स्थिति में, किसी अन्य यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंसधारक के ही समान, स्पैक्ट्रम प्रभार एवं लाइसेंस शुल्क आदि या लाइसेंसप्रदाता द्वारा अपनाया जाने वाला कोई अन्य मानदंड लागू होगा।

शर्ती-5

(x) इक्विटी के विक्रय/ विलियन के लिए लॉक-इन अवधि से संबंधित यूएएस लाइसेंस में मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे।

15. अन्य बातों के साथ-साथ 2जी स्पेक्ट्रम (800/900/1800 मेगा हर्ट्ज बैंड) की साझेदारी के लिए व्यापक दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) स्पेक्ट्रम की साझेदारी करने की अनुमति होगी, परन्तु प्रत्येक मामले में यह उसी लाइसेंस सेवा क्षेत्र में होगी तथा लाइसेंसदाता की पूर्व अनुमति से होगी। इस उद्देश्यार्थ साधारण स्वचालित अनुमोदन प्रक्रिया की व्यवस्था की जाएगी।

(ii) प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए स्पेक्ट्रम साझेदारी की अनुमति प्रदान की जाएगी। सरकार निर्धारित की जाने वाली शर्तों पर, आगे पांच वर्ष के लिए एक बार और अनुमति प्रदान कर सकती है।

(iii) स्पेक्ट्रम की साझेदारी केवल ऐसे दो स्पेक्ट्रम धारकों, जिनके पास या तो 900/1800 मेगा हर्ट्ज बैंड अथवा 800 मेगा हर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम है के बीच ही की जा सकती है।

(iv) स्पेक्ट्रम साझेदारी के परिणामस्वरूप, स्पेक्ट्रम की कुल मात्रा लाइसेंसों के विलयन के मामले में यथा-निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

(v) नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम के संबंध में, स्पेक्ट्रम साझेदारी की अनुमति केवल तब ही होगी जब इसके लिए नीलामी संबंधी शर्तों में व्यवस्था की गई हो।

(vi) स्पेक्ट्रम को साझा करने वाले पक्षकार इससे संबंधित प्रभार के उद्देश्य से अपने पूर्ण स्पेक्ट्रम को साझा करने वाले पक्षकार माने जाएंगे ।

(vii) दोनों पक्षकार लाइसेंस के तहत यथा-निर्धारित रॉल आउट दायित्वों के साथ-साथ सेवा की गुणवत्ता संबंधी दायित्वों को अपने-अपने स्तर पर पूरा करेंगे।

(viii) स्पेक्ट्रम प्रयोक्ता प्रभार दोनों प्रचालकों से अलग-अलग परन्तु दोनों प्रचालकों द्वारा धारित कुल स्पेक्ट्रम पर एक साथ वसूला जाएगा। अन्य शब्दों में, यदि 4.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखने वाला " x" प्रचालक अन्य " y "प्रचालक के 4.4 मेगार्ट्ज स्पेक्ट्रम को साझा करता है तो "x" और "y" दोनों प्रचालक 8.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए लागू स्पेक्ट्रम प्रयोक्ता प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ix) स्पेक्ट्रम साझेदारी में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले दोनों सेवा प्रदाता शामिल होंगे। स्पेक्ट्रम की पट्टेदारी की अनुमति नहा दी गई है।

(x) स्पेक्ट्रम साझा करने के बाद स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारित करने वाले मामलों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।

(xi) 3जी स्पेक्ट्रम रखने वाले लाइसेंसधारकों के बीच स्पेक्ट्रम साझेदारी की अनुमति नहीं होगी।

16. इस स्तर पर भारत में स्पेक्ट्रम के व्यापार की अनुमति नहीं होगी। इसकी बाद में पुनः जांच की जाएगी।

17. उपलब्ध स्पेक्ट्रम के कुशल प्रबंधन के लिए, ट्राई नियमित स्पेक्ट्रम जांच कर सकता है। ट्राई उपलब्ध स्पेक्ट्रम के वर्तमान उपयोग की समीक्षा कर सकता है। दोनों मामलों में, ट्राई सरकार को सिफारिशें दे सकता है।

18. दूरसंचार आयोग की कुछ सिफारिशों के संबंध में 122 लाइसेंसों को रद्द करने संबंधी 2 फरवरी, 2012 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ हैं। कानूनी और अन्य पहलुओं के संदर्भ में आगे ऐसी सिफारिशों की जांच की जा रही है तथा इस संबंध में बाद में निर्णय घोषित किया जाएगा।

******